



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP02877091236440V

e-Stamp



₹100

Certificate No.	: IN-UP02877091236440V
Certificate Issued Date	: 01-Sep-2023 02:42 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14168504/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1416850401360698021297V
Purchased by	: MAHARAJA HARISHCHANDRA MAHAVIDYALAYA SAMITI
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: MAHARAJA HARISHCHANDRA MAHAVIDYALAYA SAMITI
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: MAHARAJA HARISHCHANDRA MAHAVIDYALAYA SAMITI
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

UP02877091236440V

₹100



₹100



Please write or type below this line



Kartikay Kumar Singh  
Advocate

Lucknow (U.P.) India

Date.. 01.09.2023

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at [www.e-stampsonline.com](http://www.e-stampsonline.com) or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please report to the Stock Holding Corporation of India.



(प्रारूप-"अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम मीशा त्रिवारी (नाम अध्यक्ष) एवं हरिश्चन्द्र त्रिवारी (नाम सचिव) कमशः अध्यक्ष एवं सचिव महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति, लखनऊ फार्मा लाव (3-9) (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत् वयान

करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा महाराजा हरिश्चन्द्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस, 10 (संस्था का नाम एवं पता) सितामपुर, इटावा नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम सितामपुर इटावा (पता जहां पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या 180 एवं 205 रकबा कमशः 7590 एवं 0515 हेक्टेयर (कुल रकबा 8105 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 180 एवं 205 रकबा कमशः 7590 एवं 0515 हेक्टेयर (कुल रकबा 8105 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02/06/2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

Kartika Kumar Singh

Lucknow (U.P.)

Date 01.09.2023



8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव  
  
 सचिव

महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति  
 बड़पुर, फर्रुखाबाद

ह० अध्यक्ष  
  
 अध्यक्ष

महाराजा हरिश्चन्द्र महाविद्यालय समिति  
 बड़पुर फर्रुखाबाद

Kartkey Kumar Singh

Advocate

Lucknow (U.P.) India

Date.. 01.09.2022

